

प्रशासन गांवों के संग अभियान -2021

रिपोर्ट पटवारी ..... भू.अ. निरीक्षक..... तहसील रायपुर

मुताबिक प्रशासनिक कार्यों के आवेदन पर व समस्त दस्तावेजों के आधार पर प्रशासनिक कार्यों के खाता संख्या 1045, 1046, 1047 में नाम के दस्तावेजों को भी समस्त दस्तावेजों के दस्तावेजों के आधार पर

- ① जसदु बड़ी पत्नी धरानलाल — के बजाय अशोक देवी पत्नी धरानलाल
- ② पद्मलाल पुत्र ओमप्रकाश — के बजाय राहुल पुत्र ओमप्रकाश
- ③ नाम के पिता पुत्र गोविन्दलाल — के बजाय अंकित पुत्र गोविन्दलाल
- ④ पिन्दु पुत्र धरानलाल — के बजाय (0) गोपाल पुत्र धरानलाल
- ⑤ सोनू पुत्र ओमप्रकाश — के बजाय सुनील पुत्र ओमप्रकाश

कि रायपुर गांव में दस्तावेजों को उचित है

रिपोर्ट तहसीलदार रायपुर

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का ..... व जॉच भू.अ.नि. वृत्त ..... आधार पर शुद्धि किया जाना उचित है।

29/11/2021  
पटवारी  
विनोद बकुई  
पटवार मण्डल-रायपुर  
तह. रायपुर जिला-भीलवाडा

संशोधित रूप में जिला कार्यालय में प्रेषित है।

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

तहसीलदार रायपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाडा (राज.)  
क्रमांक:-प्र.गां.के सं./केम्प/2021/रायपुर/143/21 दिनांक:-21-11-2021  
(2021) 334  
--:आदेश :-

मुताबिक तहसीलदार रायपुर की जॉच रिपोर्ट एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर राजस्व ग्राम रायपुर जमाबन्दी संवत् 2068-2068 खाता संख्या 9044, 9045, 9046 स्वयं/शामलाती खाते में खातेदार/सहखातेदार जसदु बड़ी पत्नी धरानलाल, पिन्दु पुत्र धरानलाल, पद्मलाल पुत्र ओमप्रकाश, सोनू पुत्र ओमप्रकाश के नाम अंकित है जिसके बजाय जसदु बड़ी पत्नी धरानलाल, कृष्णगोपाल पुत्र धरानलाल, पद्मलाल पुत्र ओमप्रकाश, राहुल पुत्र ओमप्रकाश, अंकित पुत्र गोविन्दलाल शुद्धि किया जाता है, तदनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जावे वास्ते तहसीलदार सोनू पुत्र ओमप्रकाश रायपुर को पालनार्थ प्रेषित है।



29.11.2021

उपखण्ड अधिकारी  
रायपुर भीलवाडा

